संख्या-24/2017/513(4)/38-6-17-05(एसआरएलएम)/2017

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक-08 अगस्त, 2017**

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं0-81(एससीटी मद) में अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त तथा इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश को वित्तीय वर्ष में की गई बजट व्यवस्था से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-915/860/आजीविका/लेखा/2017-18, दि0-27.07.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे-12036/01/2017-आरएल(एनआरएलएम-23सी), दि0-26.04.2017 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत(एनआरएलपी/एनआरएलएम) अनुसूचित जनजाति मद में केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू0-38,31,08,000/- अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 60 प्रतिशत तथा राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गई है। उक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु एससीटी मद अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से की गयी अन्तरिम बजट व्यवस्था से शासनादेश संख्या-15/303(4)/38-6-17-5(एसआरएलएम)/2017, दि0-19.05.2017 द्वारा रू0-71,50,000(के0 42,90,000 रा0 28,60,000) अवमुक्त की जा चुकी है।

2- भारत सरकार के उक्त पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु एनआरएलपी/एनआरएलएम के अन्तर्गत एससीटी मद में अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा की गयी बजट व्यवस्था के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि में से रू0-10,37,10,000/- तथा इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0-6,91,40,000/- कुल रू0-17,28,50,000/-(रूपये सत्रह करोड अठाइस लाख पचास हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय एनआरएलएम/एनआरएलपी के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु राज्य सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2018 को समर्पित कर दी जाएगी।

(3) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि योजनान्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दि0-23.08.2017 तथा समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दि0-29.03.2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातिय उप क्षेत्र योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दि0-23.08.2017 तथा बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण के शासनादेश दि0-27.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-24/2017/513(5)/38-6-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाअधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उमा कान्त पाठक
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in